



गायालय सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रेलमगरा

रण : संख्या - 70/22 शीर्षक डोंडी बनाम सरकाट

क्र.सं.	कार्यवाही प्रकरण	हस्ताक्षर / सूचना नं.
14/6/22	डी.पू. दर्ज रजिस्टर कर सम्मन बनाम मुद्रा का मय नकल... डी.पू. नोटिस जारी का वास्ते जवाब दिनांक 29/6/22 को पेश हो।	[Signature]
	लेण्ड रिकार्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा	
29/6/22	वादी / प्रतिवादी का उपस्थित / पीठसीन अधिकारी का राजकार्य से भ्रमण/अवकाश पर है। पत्रावली पूर्ण आदेश की पालना में दिनांक 30/6/22 को पेश है।	
	अध्यास	
30/6/22	पत्रावली पेश हुई। अधि. प्रार्थी उपरोक्त सरकाट उपरोक्त पेशकार सरकाट जवाब प्रस्तुत नहीं करता-चाहते हैं। उक्त पक्ष को सुना गया। मामले में निर्णय निम्नानुसार है:- प्रार्थी ने जसिये अधिवक्ता प्रा.पत्र अक्टोबर-द्वारा 128, 129, 111 क्र. राज. अधि के प्रस्तुत किया कि ग्राम पिपली डोंडियान पटवार हठका पिपली डोंडियान तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद की सरहद में प्रार्थी की संयुक्त भूमिवादी की छवि आराजी संख्या 213/2074, 256/2074 कुल कित 02 कुल रकबा 0.6798 हेक्टर भूमियां स्थित हैं प्रमाण में नकल जमाबंदी व नक्शा इस साथ संलग्न है। प्रार्थी की छवत आराजी संख्या 213/2074, 256/2074 कुल कित 02 कुल रकबा 0.6798 हे. व छवत आराजियाट के-बांशे तरफ छिपी प्रकार	[Signature]
	लेण्ड रिकार्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा	

उपरोक्त में प्रस्तुत पत्रावली को पेश करने हेतु राज्य सरकार में जवाब पेश करने हेतु निर्णय किया है।

[Signature]

लेण्ड रिकार्ड अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) रेलमगरा

न्यायालय सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी / उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रेल

प्रकरण : संख्या -

शीर्षक बनाम

दिनांक	कार्यवाही प्रकरण
	<p>का कोई सीमांकन बाबत स्थाई रज्य से कोई चिन्ह अंकित नहीं है न ही इसके पट विद्यमान है जिससे पार्श्वीय व प्रार्थीय की आश्रयिता के पड़ोसियों के बीच सीमा को लेकर हमेशा विवाद होने की आशंका बनी रहती है जिससे पार्श्वीय अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की आश्रयिता के चारों तरफ स्थाई रज्य से सीमांकन के रज्य से पत्थरगढ़ी करवाना चाहती है ताकि अविध्य से कभी सीमा संबंधित पार्श्वीय के बीच एवं अन्य पड़ोसियों के बीच कोई विवाद नहीं हो इस बाबत पार्श्वीय के लिये यह प्रार्थना पत्र विच्छेद विपक्षी के प्रस्तुत करना आवश्यक है किया है इस बाबत यह प्रार्थना पत्र पार्श्वीय की ओर से संशुद्ध रज्य से प्रस्तुत किया जा रहा है पार्श्वीय ने विपक्षी को पार्श्वीय की आश्रयिता से स्थाई सीमांकन चिन्ह के लिये निवेदन किया होगा परन्तु विपक्षी के द्वारा आप न्यायालय के आदेशानुसार ही स्थाई सीमांकन चिन्ह लिये जाने से पार्श्वीय का प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक 10/05/2022 को उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है अतः प्रार्थना है कि पार्श्वीयों के स्वामित्व की आश्रयिता संख्या 213/2014, 2156/2014 कुल शिवा-02 कुल रकबा 0.6798 हेक्टर एवं इन आश्रयिता के चारों दिशाओं की आश्रयिता के मध्य पत्थर गढ़ी कराने का आदेश तहसीलदार साहब रथमठरा के नाम पर करमाया जावे इस पट पत्रावली दर्ज रजिस्ट्रार की जाकर विपक्षी को जरिये आमन लखब किया</p>

लय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा, जिला-राजसमन्द (राज.)

ख्या - 70122 डा.प. शीर्षक..... गंधी

बनाम..... धरका

क्र	कार्यवाही प्रकरण	हरताक्षर/सूचना नं.
-----	------------------	--------------------

विपक्षी जवाब प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं।
 उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली न पत्रावली
 पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया।
 जैसे की विधि में प्रत्येक खोटेदार को अपनी
 खोटेदारी भूमि का सीमांकन करायें जाने का
 एक अधिका निर्दिष्ट है।

अतः पार्थीया का प्रार्थना पत्र अर्जित
 धारा 128, 129, 111 भू.राज.अधि. का बर्तीकरण
 किया जाकर ग्राम विपक्षी डोडिया न पत्वार -
 हल्का विपक्षी डोडिया न के आशजी संख्या -
 2131/2014, 2156/2014 कुल कित - 02 कुल
 रकबा 0.6798 हेक्टेयर भूमि जो पार्थीया के
 स्वामित्व की है तथा पार्थीया की हल. के
 चारों दिशाओं की आशजियात के मध्य पत्वार
 गंधी करायें जाने हेतु तहसीलदार रेलमगरा
 को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा
 आवेक्षित किया जाता है वे पार्थी एवं उसके
 चारों दिशाओं के पडोसी खोटेदारों को सूचित
 कर पत्वार गंधी की कार्यवाही किया जाना
 सुनिश्चित करें। पासनाथ तहसीलदार रेलमगरा
 का किया जाये। पत्रावली फाइल नुम्बर 8
 नम्बर से कम की जाये।

निर्णय आज दिनांक 30/6/2022 को
 मेरे द्वारा सिखवाया जाया पर ईजलास में
 सुनाया गया।

लेण्ड रिकार्ड अधिकारी
 (उपखण्ड अधिकारी)
 रेलमगरा